समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

10.2.2014

आवेदक **श्री विमलेश कुमार**, पिता–श्री सीताराम सिंह, सा0–चकबैरिया, पो0–बैरिया, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–25/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1813/गो0, दिनांक–14.12.2013 द्वारा थानाध्यक्ष, गोपालपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन के कॉलम 15 में अनुज्ञप्ति निर्गत करने के बिन्दु पर संतुष्ट नहीं होते हुए अनुज्ञप्ति नहीं निर्गत करने का अभिमत दिया गया है, जिसके आलोक में आवेदन के अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुलग्नक सहित मूल में संलग्न कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, गोपालपुर के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अवलोकनार्थ अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, गोपालपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे कृषक हैं। साथ ही व्यवसाय भी करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध फुलवारीशरीफ (गौरीचक) थाना काण्ड सं0–396/92, धारा–364 भा0द0वि0 दर्ज है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के साथ ही आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का कोई यथेष्ट कारण नहीं होने के कारण अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करने का अभिमत दिया गया है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने से लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री विमलेश कुमार, पिता–श्री सीताराम सिंह, सा0–चकबैरिया, पो0–बैरिया, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।